and our people, and that their visit to this country will further strengthen the friendly bonds that exist between India and Indonesia. Through them, we convey our greetings and best wishes to the Parliament and the friendly people of Indonesia.

ORAL ANSWARS TO QUESTIONS—*Contd.*

आदिवासी निधियों का दुर्विनियोजन

*185. श्री अभय कांत प्रसाद: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार और झारखंड सरकार के अधिकारियों द्वारा आदिवासियों के विकास हेतु प्रदत्त केन्द्रीय निधियों का दुर्विनियोजन किए जाने के मामलों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसे दुर्विनियोजन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजाति कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) इस मंत्रालय को बिहार और झारखंड सरकार के अधिकारियों द्वारा निधियों के दुर्विनियोजन के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) निधियों के दुर्विनियोजन को रोकने और उनका समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में शामिल हैं:

(1) निधियों के आगे निर्मुक्ति हेतु पूर्वापेक्षा के रूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों पर बल दिया जाता है;

(2) योजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति संबंधी आवधिक प्रगति रिपोर्टें प्राप्त की जाती है;

(3) योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति जानने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का मौके पर दौरा करते हैं;

(4) समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने, योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन और वास्तविक तथा

वित्तीय प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनजातीय कल्याण विभागों के राज्य सचिवों के साथ केन्द्रीय स्तर पर बैठकें/सम्मेलन बुलाये जाते हैं;

(5) राज्य/क्षेत्र स्तर पर जनजातीय सलाहकार परिषद, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं की परियोजना कार्यान्वयन समितियों और पंचायत समितियों जैसे अभिकरण निधियों के यथा समय व्यय और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं।

(6) राज्य योजना/वित्त और जनजातीय कल्याण विभागों द्वारा लाइन-विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियों की अदायगी में विलंब से बचने के लिए जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के आवंटन और उपयोग हेतु दिशा-निर्देश एकीकृत जनजातीय विकास अभिकरण/एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनावार विशिष्ट केन्द्रीय सहायता की उद्दिष्ट निधियों के प्रावधान सहित, संशोधित किए गए हैं। दिशा निर्देशों में यह दिया गया है कि आईटीडीपी, माडा, क्लस्अर, आदिम जनजातीय समूह, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत आने वाली जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशा पर जनजातीय उपयोजना के तहत कार्यान्वित वास्तविक कार्यक्रमों/योजनाओं का आकलन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(7) गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित योजनाओं के मामले में निधियों की निर्मुक्ति राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक लेखे तथा अंकेक्षित रिपोर्टें एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं जिनके आधार पर निधियों की आगे निर्मुक्ति की जाती है। गैर-सरकारी संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों एवं केन्द्र सरकार के अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है

Misappropriation of tribal funds

†*185. SHRI ABHAY KANT PRASAD: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards the issue of misappropriation of Central funds provided for development of tribals by the officers of Bihar and Jharkhand Governments;

(b) if so, the details thereof;

(c) the details of action being taken by Government; and

†Original notice of the question was received in Hindi.

(d) the steps taken to prevent such misappropriation of funds in future?

THE MINISTER OF TRIBAL AFFAIRS (SHRI JUAL ORAM): (a) and (b) No such instances of misappropriation of funds by the officers of Bihar and Jharkhand Governments have been reported to this Ministry.

(c) Does not arise.

(d) To prevent misappropriation of funds and to ensure their proper utilization, the Government has taken several measures, which include:—

(i) Utilisation Certificates are insisted upon as a pre-requisite for further release of funds;

(ii) Periodic progress reports regarding the status of implementation of schemes are obtained;

(iii) Central Government Officers undertake on the spot visits to the States/UTs for ascertaining the progress of implementation of schemes;

(iv) Meetings/conferences are convened at the Central level with State Secretaries of Tribal Welfare Departments to ensure timely submission of proposals, speed up implementation of schemes, and review physical and financial progress;

(v) At the State/field level, the agencies, like, Tribal Advisory Council, Project Implementation Committees of ITDP's and Panchayat Samitis also monitor timely spending of funds and effective implementation of schemes;

(vi) To avoid delays in disbursement of funds by the State Plan/Finance and Tribal Welfare Departments to the line departments/ implementing agencies, the guidelines for allocation and utilization of SCA to TSP has since been revised with the provision of ITDA/ ITDP-wise earmarking of SCA funds. It has been provided in the guidelines that all States/UTs should ensure that assessment of actual programmes/schemes implemented under TSP on the socio-economic condition of the tribal covered under ITDPs, MADAs, Clusters, PTGs, as the case may be, should specifically be

undertaken.

(vii) In the case of the schemes implemented through the Non-Governmental Organisations (NGOs), funds are released based on State Government recommendations. The NGOs are required to furnish annual accounts and audited reports and utilization certificates on the basis of which further release of funds are made. Inspection of NGOs is also undertaken through State Government/UT officials and also by the Central Government officers.

श्री अभय कांत प्रसाद: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ग्रीन कार्ड योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई है, उसको झारखंड और बिहार में अति शीघ्र शुरू किया जाए, क्योंकि इन प्रदेशों में आदिवासियों की आर्थिक हालत दयनीय है। भारत सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के पास उपलब्ध राशि का 22.5 प्रतिशत खर्च एससी एसटी के हितकारी कार्यक्रमों पर किया जाना चाहिए, लेकिन बिहार और झारखंड में इस संबंध में स्थिति असन्तुलित है। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आंकड़े इकटठे किए हैं? यदि हां, तो इन राज्यों में इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्री जुएल उराम: सर, यह फंड्ज मिसएप्रोप्रिएशन का क्वश्चन है कि झारखंड और बिहार के सरकारी अधिकारियों द्वारा इसका कोई दुरुपयोग हुआ है, लेकिन इस संबंध में ऐसी कोई स्पेसेफिक रिपोर्ट नहीं है। अगर माननीय सदस्य लिख कर दें या ऐसा कुछ जानकारी में देंगे तो उसको करेंगे। कम यूटिलाइजेशन के बारे में राज्य सरकार को बीच-बीच में हम हिदायत देते है। 22 प्रतिशत का युटिलाइजेशन वह जो बता रहे हैं, इसके बारे में अलग क्वश्चन अगर वह करें तभी मैं बताऊंगा।

श्री सभापति: मिसएप्रोप्रिएशन तो नहीं है?

श्री जुएल उराम: नहीं है, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, as far as the Tribal Development Fund is concerned, it is not reaching tribals and the intermediaries are taking away the money. Recently, after the emancipation of local Panchayat authorities, this money was being spent through the local bodies. But it was reported that in some States, this money, which was earlier allotted for the local bodies, have been taken back and given to the bureaucrats. The bureaucrats, without spending this money-this was

especially reported from Kerala-which was meant for the tribals, keep the amount in their own personal accounts. Will the Government make an enquiry and take action against those bureaucrats who are depositing this money in their personal account, instead of spending the money for tribals?

MR. CHAIRMAN: But there is no case of misappropriation.... (*interruptions*)....You have put the question.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: That is misappropriation. They are not spending money; they are keeping it in their personal accounts. .... (*interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: He is only replying to the Question of misappropriation. There is no misappropriation. .... (*interruptions*)....

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: But that is what has happened, Sir. .... (*interruptions*)....

SHRI S.S. AHLUWALIA: He is making a sweeping remark about the bureaucracy. Can he justify and give the names of persons who are keeping this money in their account? .... (*interruptions*).... Can he give? .... (*interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: Please hear me. .... (*interruptions*).... There is no need to justify and give the names of bureaucrats. .... (*interruptions*).... The question is over .... (*interruptions*)....

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: This is a very serious issue happened in the State .... (*interruptions*).... The money which was meant for the tribals was deposited in personal accounts .... (*interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: I agree with you. .... (*interruptions*).... But it is no misappropriation .... (*interruptions*)....

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: But it has not been used for the tribals. .... (*interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: It is no misappropriation .... (*interruptions*)....

SHRI M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: It is a very serious issue, Sir. .... (*interruptions*)....

MR. CHAIRMAN: Please take your seats ... (*interruptions*)....Whatever you have said it does not appear that there has been any misappropriation.... (*interruptions*)....

MISS MABEL REBELLO: I have a small question. In Chhattisgarh, there is the most primitive tribe known as Korba. I had gone to Sarguja, and I saw that funds were given for tribals not to acquire land, water and electrictity but to build toilets, to build iron fencing and to make Pavements. These are primitive tribals. They don't have anything to eat. Why are they misusing funds for building toilets and things like that in the deep jungle? I would like to know this.

श्री जुएल उराम: सर, वह पहाड़ी कोरबा है।.... (*व्यवधान*).. सर, दुख की बात यह है कि पहाड़ी कोरबा के विकास के लिए जो पैसा दिया गया था, उस में से कुछ डायवर्शन ऑफ फंड्स हुआ और उस क्षेत्र में 27 पहाड़ी कोरबा मर गए। मैं भी वहां की स्थिति को देखकर आया हूं। कुछ डायवर्शन ऑफ फंडस तो हुआ था, लेकिन इस टाइम में सरकार हम लोगों की नहीं थी. ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: सरकार किसी की भी हो ...(व्यवधान).... आप बैठिए।

श्री प्रेम गुप्ता: आप क्या बात कर रहे हैं ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप माननीय सदस्य बैठिए ...(व्यवधान)....

श्री जुएल उराम: सर, इस बारे में इंक्वायरी कर के रिपोर्ट देने के लिए उन के सचिव को हिदायत दी गयी है। उन से रिपोर्ट मंगायी जा रही है।

श्री सभापति: देखिए, सरकार किसी की हो, इस से मतलब नहीं है। जिन कामों के लिए फंड्स दिए गए थे, उन कामों पर खर्च नहीं हुए।

श्री जुएल उराम: हां वह सही है। इस के लिए रिपोर्ट मंगवायी जा रही है। रिपोर्ट मंगवाकर हाउस में पेश कर दूंगा।

श्री सभापति : कब करेंगे?

श्री जुएल उराम: सर, एक महीने के अंदर पेश कर दूंगा।

*186. [*The Questioner (Dr. T. Subba Rami Reddy and Shri Vayalar Ravi were absent for answer vide pages* 40-41.*]*

Prices of Cement

*187. SHRI V.V. RAGHAVAN:††
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

---

††The question was actually asked on the floor of the House by Shri V.V. Raghavan.